

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करोली)

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएएस)
प्रकरण संख्या:- 31/2016

दाखल दिनांक:- 09.03.2016

जीसीएमएस नं. 2016/00916

उपनाम

मु0 सुगनी उर्फ सोनबाई बेबा मुकन्दा जाति जाटव जाति जाटव निवासी बड़ोडा
तहसील हिण्डौन जिला करोली राजस्थान

—सायल

बनाम

जगमोहन पुत्र धनीराम जाति जाटव निवासी बड़ोडा तहसील हिण्डौन जिला करोली
राजस्थान

—गैरसायल

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:- 26-7-24

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में सायलान एवं सायलान वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार सायलान एवं सायलान वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बाबजूद सायलान एवं सायलान वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 11.04.2016 से आज दिनांक तक तलवाना में विचाराधीन है। जिससे जाहिर होता है कि सायलान एवं सायलान वकील प्रकरण को आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। सायलान एवं सायलान वकील द्वारा न्यायालय आदेशों की अवहेलना की जा रही है। अतः मुकदमा न0 31/2016 सुगनी बनाम जगमोहन आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत अदम हाजिरी व अदम तकमील/पालना में खारिज क्रिया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को खुले न्यायलय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करोली

